

कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्र.क./0014/अ-82/2019-20 / 6271

श्योपुर दिनांक 08.08.2019

प्रारम्भिक अधिसूचना

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम **पराष्ठा** तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा **2.258** हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम **पराष्ठा** प.ह.न 11 रा.नि. वृत्त 02 में उक्त परियोजना के लिये **2.258** हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है -

क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हित वद्ध व्यक्ति का नाम, पता, (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	5	4	6
1	397	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.356	चरनू पुत्र प्रहलाद जाति बंजारा नि.ग्रा. रघुनाथपुर भूदान कृषक भू.आ. 2.79
2	403	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.463	मु0 रुमाली बेवा करनसिंह राजेन्द्र नाबा. पुत्र करन सिंह, इन्द्रा नाबा0 पुत्री करनसिंह सर. सहजाद काका खुदद जाति बंजारा समान भाग भूदान कृषक भू.आ. 14.06
3	404	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.020	मु0 रुमाली बेवा करनसिंह राजेन्द्र नाबा. पुत्र करन सिंह इन्द्रा नाबा0 पुत्री करनसिंह सर. सहजाद काका खुदद जाति बंजारा समान भाग भूदान कृषक भू.आ. 14.06
4	405	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.014	मु0 रुमाली बेवा करनसिंह राजेन्द्र नाबा. पुत्र करन सिंह इन्द्रा नाबा0 पुत्री करनसिंह सर. सहजाद काका खुदद जाति बंजारा समान भाग भूदान कृषक भू.आ. 14.06

कलेक्टर
जिला श्योपुर (म. प्र.)

5	410	भूदान भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.088	रामसिंह पुत्र भोरू जाति रावत पता नि. धोरी बावडी भूदान भूमि स्वामी भू.आ. 3.00
6	411 /1	भूदान भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.306	रामसिंह पुत्र भेरू जाति रावत पता नि.धोरी बावडी भूदान भूमि स्वामी
7	411 /2	भूदान कृषक	कृषि भूमि		हल्लाराम , रामजीलाल पुत्रगण बालकिशन जाति रावत पता नि. धोरी बावडी समान भाग भूदान कृषक भू. राजस्व 4.50
8	411 /3	भूदान भूमि स्वामी	कृषि भूमि		धनीराम ,मुकेश, गोपाल, केलाश पुत्रगण हरिज्ञान लीला , पीपडी, केडा पुत्रीयां हरिज्ञान हिस्सा 0.315 समान भाग लाली पत्नी गुरुमुख दीपू, जीतू नाबा. पुत्रगण गुरुमुख मधु नाबा. पुत्री गुरुमुख सर. मा खुदद हिस्सा 0.045 समान भाग जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूदान भूमि स्वामी भू -राजस्व 1.50
9	418	भूदान भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.091	मुन्नी बाई पत्नी जगदीश जाति गोड निवासी वीरपुर भूदान भूमिस्वामी
10	419	भूदान भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.080	मुन्नी बाई पत्नी जगदीश जाति गोड निवासी वीरपुर भूदान भूमिस्वामी
11	420	भूदान भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.035	जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति गोड पता निवासी ग्राम भूदान भूमि स्वामी भू-राजस्व 8.50
12	421	भूदान भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105	जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति गोड पता निवासी ग्राम भूदान भूमि स्वामी भू-राजस्व 8.50
13	429	भूदान भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.034	जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति गोड पता निवासी ग्राम भूदान भूमि स्वामी भू-राजस्व 8.50
14	430	भूदान भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.171	मुन्नी बाई पत्नी जगदीश जाति गोड निवासी वीरपुर भूदान भूमिस्वामी
15	431	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.100	हरगोविन्द उर्फ बल्ला पुत्र कमलसिंह जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.10
16	432	शा. पट्टे से भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.282	बतराम उर्फ देवीलाल पुत्र कमलसिंह जाति बंजारा पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टे से भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.69

कलमदर

17	433	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.101	हरगोविन्द उर्फ बल्ला पुत्र कमलसिंह जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.10
18	434	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.012	हरगोविन्द उर्फ बल्ला पुत्र कमलसिंह जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.10
	योग			2.258	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू - अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

स्थान: श्योपुर

तारीख - 08.08.2019




(बसंत कुर्रे)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)

पृ.क./0014/अ-82/भू-अर्जन/2019-20/1.2 77
प्रतिलिपि-

श्योपुर दिनांक 08.08.2019

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म.प्र. भोपाल की ओर राजपत्र मे अधिसूचना प्रकाशन हेतु ।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल की ओर 02 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशन हेतु ।
3. कलेक्टर जिला श्योपुर के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर जिला श्योपुर के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
6. तहसीलदार तहसील वीरपुर की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील पुलिस स्टेशन के ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम मे मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. श्योपुर की ओर कलेक्टर जिला श्योपुर (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकृत बेवसाईड पर अपलोड हेतु ।


कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)